

**EXTRAORDINARY** 

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287

नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2010/ज्येष्ठ 3, 1932

No. 287]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2010/JYAISTHA 3, 1932

## कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2010

सा.का.नि. 445(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता और प्रशिक्षण उपायों की विवरणी) नियम, 2008 का, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 727(अ) तारीख 10 अक्तूबर, 2008 को प्रकाशित किए गए थे, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता और प्रशिक्षण उपायों का विवरणी) (संशोधन) नियम, 2010 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रतिस्पर्धा आयोग (प्रतिस्पर्धा समर्थन के संप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जागरुकता और प्रशिक्षण उपायों की विवरणी) नियम, 2008 के नियम 3 में उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "(5) विवरणी को तैयार करने में प्ररूप और समय से संबंधित मामले जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके अंतिम विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।"

[फा. सं. 5/28/2007-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2010

G.S.R. 445(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (2) of the Section 63 read with sub-section (1) of Section 53 of the Competition Act, 2002, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Competition Commission of India (Return on Measures for the promotion of Competition Advocacy, Awareness and Training on Competition Issues Rules, 2008 published in the Gazette of India, No. 727 (E), dated 10th October, 2008, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Return on Measures for the promotion of Competition Advocacy, Awareness and Training on Competition Issues) (Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Return on Measures for the promotion of Competition Advocacy, Awareness and Training on Competition Issues) Rules, 2008, in rule 3, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(5) The matters relating to form and time of preparation of return, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred, in each case, to the Central Government for its final decision."

[F. No. 5/28/2007-IGC/CS] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

1979 GI/2010